



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या-01, सेक्टर-नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नोएडा सिटी,
गौतमबुद्ध नगर 201310

पत्रांक:-नियो0/पी0ओ0-50/2023/511
दिनांक 03/11/2023

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण बोर्ड की 131वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-131/24, दिनांक 12.08.2023 में ग्रामों की अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष दिये जाने वाले 6/10 प्रतिशत के नियोजित भूखण्ड का काश्तकारों की माँग के आधार पर उप विभाजन हेतु पूर्व में अनुमोदित नीति में वारिसान के आधार पर बराबर भागों में उपविभाजित किये जाने तथा उप विभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल कम से कम 120 वर्गमीटर के स्थान पर 40.0 वर्गमीटर किये जाने हेतु निम्नानुसार नीति में संशोधन किया जाता है:-

यदि किसी भी प्रकरण में उप विभाजन 4 से अधिक भाग में किया जाता है तो ऐसे प्रकरण में परिवार रजिस्टर व भूलेख विभाग के सत्यापन उपरान्त पात्र कृषक के वारिसानों की संख्या के बराबर समान क्षेत्रफल में भूखण्ड को उपविभाजित किया जा सकता है एवं उपविभाजित भूखण्ड का आकार 40.0 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। उपविभाजन की प्रक्रिया निम्न शर्तों के अनुरूप होगी:-

1. प्राधिकरण द्वारा मूल आवंटित भूखण्ड तक ही यथा पहुँच मार्ग(सड़क), सीवर, जल एवं विद्युत की व्यवस्था की जायेगी।
2. कृषक द्वारा किये गये आवेदन पर विभाजन इस प्रकार किया जायेगा कि उपविभाजित भूखण्डों के अन्दर पहुँच मार्ग, जल,सीवर, विद्युत की व्यवस्था कृषक को आवंटित भूमि में नियोजित करनी होगी। विकास एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का वहन कृषक द्वारा किया जायेगा।
3. कृषक के मूल भूखण्ड का उपविभाजन परिवार के सदस्यों के नाम किया जायेगा। परिवार के सदस्य यदि भविष्य में अपने वारिसान के नाम उपविभाजन करते हैं, तत्समय भी उपविभाजित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 40.0 वर्गमीटर ही रखा जायेगा।

शेष नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-16, दिनांक 14.03.2016 के अनुरूप ही अनुमन्य होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमनदीप डुली)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
2. स्टॉफ आफीसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(ए0/एम0/डी0/पी0) को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक(नियो0 एवं वास्तु0) को सूचनार्थ।
4. विशेष कार्याधिकारी(भूलेख) को सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष(पब्लिक रिस्ट्र) को सूचनार्थ।
6. गार्ड फाइल

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी